समाचार.प्रकाषनार्थरू.

अमृत सागर तालाब संरक्षण एवं प्रबंधन परियोजना के अन्तर्गत 12ण्43 करोड़ के विभिन्न निर्माण कार्यो आज होगा षुभारंभ

रतलाम 21 अप्रैल । अमृत सागर तालाब संरक्षण एवं प्रबंधन परियोजना के अन्तर्गत 12ण्43 करोड़ के विभिन्न निर्माण कार्यो षुभारंभ विधायक रतलाम षहर माननीय श्री चेतन्य जी काष्यप के मुख्य आतिथ्य में सांय 04ः00 बजे अमृत सागर स्थित गढ़ कैलाष मंदिर के पास विधिवत् पूजा.अर्चना कर किया जायेगा जिसमें जनप्रतिनिधिए गणमान्य नागरिकए अधिकारीए कर्मचारी व नागरिक उपस्थित रहेंगे।

अमृत सागर तालाब संरक्षण एवं प्रबंधन परियोजना के अन्तर्गत 1ण्105 करोड़ से तालाब की स्टोन पिचिंग एवं गेबियन वॉल निर्माणए 48ण्56 लाख की लागत से बोहरा बाखल नाला डायवर्जनए 2ण्239 करोड़ की लागत से कंसट्रक्टेड वेटलैंडए 2ण्37 करोड़ से पेरेफेरल सेनिटेषन एवं वाटर सप्लाईए 2 नग टायलेट ब्लॉकए इलेक्ट्रीक कनेक्षनए सीसीटीवी कनेक्षनए सब स्टेषन आदिए 1ण्462 करोड़ से तालाब के चारो ओर बॉउण्ड्रीवॉल का निर्माणए 4ण्41 करोड़ से एंटरेंस गेटवेए पेरेफेरल रोडए फुटपाथए पार्किंग एरियाए दुकानेंए गजिबोंए साईट डेवलपमेंट रेस्ड गार्डनए आरसीसी रिटेनिंग वॉलए 35ण्60 लाख से नागरिक जागरूकता संबंधी गतिविधियांए वॉच टॉवर एवं एडमिन ऑफिस निर्माण इस तरह कुल 12ण्43 करोड़ राषि के निर्माण कार्यो का षुभारंभ किया जायेगा।

ग्रीन रतलाम . क्लीन रतलाम गीत.गायन प्रतियोगिता आज

आज 22 अप्रैल दोपहर तक प्रतियोगी करा सकते है पंजीयन

रतलाम 21 अप्रैल । विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर रतलाम को स्वच्छ व सुंदर बनाने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण की थीम पर स्वरचित स्वच्छता गीत और

इसके गायन की स्पर्धा का आयोजन आज 22 अप्रैल को कर रहा है। इस प्रतियोगिता में सफल रहे प्रतियोगियों को पुरस्कृत किया जाएगा।

आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश व उपायुक्त श्री विकास सोलंकी के निर्देशन में आयोजित होने वाली गीत गायन प्रतियोगिता जूनियर और सीनियर वर्ग के लिए होगी। इस प्रतियोगिता के दौरान ग्रीन रतलाम . क्लीन रतलाम की थीम पर प्रतियोगियों को स्वरचित गीत का गायन पावर हाउस रोड़ स्थित लायन्स हाल में 22 अप्रैल शुक्रवार को शाम 5 बजे से आयोजित कार्यक्रम में करना होगा। प्रतियोगिता में सफल रहे प्रतियोगियों को नकद राशि के साथ ही शील्ड व प्रमाणपत्र भेंट किए जाएगे।

गीत गायन स्पर्धा में हिस्सा लेने वाले प्रतियोगी आज 22 अप्रैल षुक्रवार को दोपहर 3 बजे तक व्हाटएप नम्बर 9229575956 पर अपना पंजीयन करा सकते है।

सीएम हेल्प लाईन षिकायतों के निराकरण में नगर निगम रतलाम

96ण्07 वेटेज स्कोर प्राप्त कर बना प्रदेष में नम्बर.1

रतलाम 21 अप्रैल । नगर निगम से संबंधित सीएम हेल्प लाईन पर नागरिकों द्वारा दर्ज कराई गई षिकायतों के निराकरण में रतलाम नगर निगम को प्रदेष में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ।

सीएम हेल्प लाईन में दर्ज षिकायतों के निराकरण के तहत नगर निगम रतलाम 641 षिकायतें निराकरण मंे संतुश्टि के साथ बंद षिकायतों का वेटेज 56ण्16 ;50 प्रतिषतद्धए 50 दिवस से अधिक लंबित षिकायतों का वेटेज 9ण्91 ;10 प्रतिषतद्धए निम्न गुणवत्ता से बंद षिकायतों का वेटेज 10 ;10 प्रतिषतद्धए नोट अटेडेंट षिकायतों का वेटेज 10 ;10 प्रतिषतद्धए मान्यध्अमान्य षिकायतों का वेटेज 10 ;10 प्रतिषतद्ध तथा कुल वेटेज स्कोर 96ण्07 प्राप्त कर प्रदेष में नम्बर 1 बना।

सीएम हेल्प लाईन षिकायतों निराकरण में नगर निगम रतलाम को प्रदेष में प्रथम स्थान प्राप्त होने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम के अधिकारी

एवं कर्मचारियों को बधाई प्रेशित कहा कि आगे भी इसी प्रकार कार्य कर रतलाम नगर निगम को प्रथम पायेदान पर बनायें रखें।

21 अप्रैल गुरूवार को कचरा संग्रहण हेतु लगाई 239 ट्रीप

106 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 21 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टे्रंचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 21 अप्रैल गुरूवार को 106 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया टे्रंचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

21 अपे्रल गुरूवार को डम्पर से 30070 किलोए टे्रक्टर से 6640 किलोए मैजिक सूखा कचरा 45545 किलोए मैजिक गीला कचरा 23825 किलोए सेनेटरी कचरा 3ण्1ए घरेलू हानिकारक कचरा 2ण्5 किलो इस तरह कुल 106085ण्6 किलो कचरा जुलवानिया टे्रंचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

खुले में यूरिन करने पर 4 व्यक्तियों पर जुर्माना

झोन प्रभारी का वेतन रोका व दरोगा का 7 दिवस का वेतन काटा

रतलाम 21 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान वार्ड क्रमांक 33 में 4 व्यक्ति खुले में यूरिन करते पाये जाने पर दरोगा प्रेमचन्द्र फतरोड 7 दिवस का वेतन काटा गया व झोन प्रभारी श्री किरण चौहान का माह अप्रैल का वेतन रोका जाकर कारण बताओ सूचना.पत्र जारी किया गया साथ ही खुले में यूरिन करने वाले हर्शद इंदुकर पर 500ए मेघराज पर 300ए षांतिलाल पर 100 व रंजीत पर 50 रूपये का जुर्माना किया गया।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र रतलाम में खुले में षौच व यूरिन करना प्रतिबंधित किया गया इसके बाद भी वार्ड क्रमांक 33 में 3 व्यक्ति खुले में यूरिन करते पाये जाने पर झोन प्रभारी व वार्ड दरोगा पर दण्डात्मक कार्यवाही की गई।

4 ड्रायवर व 15 हैल्पर का 7 दिवस का वेतन काटा

रतलाम 21 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार बिना सूचना के 21 अप्रैल को अनुपस्थित कचरा संग्रहण वाहन के 4 ड्रायवर व 15 हैल्परों का 7 दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

21 अप्रैल गुरूवार को ड्रायवर सुनील.बैरागीए षुभम् पैमालए अभिशेकए कैलाषए हैल्पर विषाल.मुकेषए राहूल.दषरथए तुफान घोसरए सुनीलए मुकेष.गोवर्धनए गोपाल.दिलीपए दीपकए मंगेषए सुनीलए संदीपए सुमीतए संदीप षिन्देए ओमप्रकाषए जितेन्द्र बेजू व मुकेष द्वारा बिना सूचना के कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर 7 दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किय

रात्रिकालिन सफाई के 6 कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम 21 अप्रैल । षहर के व्यावसायिक क्षेत्रों की रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था का निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा 20 अप्रैल बुधवार को निरीक्षण किये जाने पर दीपक.पूनमचन्दए हीरालाल.ष्यामलालए विकास.पप्पूए महेन्द्र.राजेन्द्रए गौरव.राजेन्द्र व षेखर.मदनलाल द्वारा अपने कर्तव्य स्थल पर अनुपस्थित पाये जाने पर संबंधित कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटने व सेवा से बर्खास्त किये जाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये जाने के निर्देष संबंधित को दिये।

24 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा

दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पुरे दिन का वेतन

बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होगें सेवा से बर्खास्त

रतलाम 21 अप्रैल । कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार वार्डो में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवक्षकों द्वारा वार्डो में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत 21 अप्रैल को प्रातः 11 व दोपहर में 13 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तध्निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की षिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की षिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा।

21 अप्रैल गुरूवार को झोन क्रमांक 1 में बादल.दिलीपए अजय.विनोदए विजय. फुलचन्दए अनिल.अर्जूनए विजय.सुरेषए झोन क्रमांक 2 में रवि.सुरेषए दीपक.अन्नीए मोहित.गोपालए रमेष.मुंषीए झोन क्रमां 3 में मुकेष.गोवर्धनए झोन क्रमांक 4 में पवन. हुक्मीचन्दए दोपहर की षिफ्ट में झोन क्रमांक 2 में अरूणाबाई पति रामसिंहए भागाबाई पति बसंतीलालए षारदाबाई पति राजेषए महेन्द्र.नेहरूए मनुबाई पति किषोरए ष्यामाबाई पति रामलालए षिवकन्याबाई पति रमेषए राकेष.रामप्रसादए अनिताबाई पति दीपकए झोन क्रमांक 3 में संगीताबाई पति कमलए मायाबाई पति प्रभुदयालए सुमनबाई पति भारतए मुन्नीबाई पति ईष्वर इस तरह 24 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तध्निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते है उन्हे सेवा से बर्खास्तध्निलबंन की कार्यवाही की जायेगी।

गदंगी करने व अमानक पॉलीथीन उपयोग करने पर 8 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 21 अप्रैल । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर षहर को गंदा करते हैंए मलबा डालकर व सामान से अतिक्रमण करते हैए अमानक पॉलीथीन का उपयोग एवं विक्रय करते हैंए खुले में यूरिन करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 21 अप्रैल गुरूवार को 8 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार बादषाह रेडियेटरए निर्मलए श्री कृश्णा रेस्टोरेंटए हर्शल इंदुकर पर 500.500ए मेघराज पर 300ए भेरूलाल पर 250ए षांतिलाल पर 100 व रंजीत पर 50 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविश्य में गंदगी व अमानक पॉलीथीन का उपयोग ना करने की समझाईष दी।

स्पॉट फाईन की कार्यवाही उपयंत्री श्री राजेन्द्र मिश्रा के निर्देषन में स्पॉट फाईन दल द्वारा की गई।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिषत अवैध निर्माण का होगा प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध

30 जून तक प्रषमन षुल्क में दी जा रही 20 प्रतिषत छूट

रतलाम 21 अप्रैल । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध के तहत 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेष षासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध हेतु नियमों में संषोधन कर अब 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत की सीमा तक

हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है। रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये है।
कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध 30 जून के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरूद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

नगर निगम उठायेगा निर्माण एवं विध्वंस अपषिश्ट सामग्री

सिविक सेंटर में बनाया निर्माण एवं विध्वंस सामग्री केन्द्र नागरिक मो0नं0 7471144078 पर करें संपर्क

रतलाम 21 अप्रैल । निर्माण एवं विध्वंस अपषिश्ट सामग्री के नियमानुसार निश्पादन हेतु नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। नागरिक मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते है।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि स्वच्छ भारत मिषन 2ण्0 के अन्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। भवन निर्माण कर्ता भवन निर्माण अपषिश्ट सामग्री कांक्रीटए ईंटए मुरमए मलबाए स्टीलए लकड़ीए प्लास्टिकए मोर्टरए साइल आदि को मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते है।

ष्वान पालकों को अपने ष्वान का रजिस्ट्रेषन अनिवार्य रूप से करायें

रजिस्ट्रेषन नहीं कराने पर संबंधित के विरूद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही

रतलाम 21 अप्रैल । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में ष्वान पालते हैं वे अपने ष्वान का रजिस्टेªषन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस षाख में अनिवार्‌य रूप से करायें अन्यथा संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत ष्वान पालकों द्‌वारा अपने ष्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा ष्वान की भांति छोड़ दिया जाता है तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे ष्वानों एवं ष्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे ष्वान पालक जिन्होने अपने ष्वान का रजिस्टेषन नहीं कराया है उन्हे नगर निगम द्‌वारा सूचना.पत्र जारी किये जा रहे है रजिस्टेªषन नहीं कराने वाले ष्वान पालकों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ष्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस षाखा में प्रति ष्वान पंजीयन षुल्क रूपये 1000ध् एवं लायसेंस षुल्क रूपये 500ध् प्रति ष्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेेतु प्रतिवर्श 100ध् रूपये जमा कराना होगा। ष्वान पालकों को अधिकतम् 2 ष्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

नगर निगम द्‌वारा ष्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने ष्वान का रजिस्ट्रेषन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्‌गत लायसेंस षाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने ष्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

3369 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए

स्वरोजगार ऋण से 120 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 21 अप्रैल । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यषील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु 3149 हितग्राहियों को राषि रूपये 10ए000ध् तथा द्वितीय कार्यषील पूंजी हेतु 220 हितग्राहियों को राषि रूपये 20ए000ध् ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 115 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 5 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।
पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवष्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 21 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देषित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिष्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देषित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि दोनो पालियों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कषॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देषित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 21 अप्रैल । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले. नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।
वार्डो की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारध्जण्संण्विण्ध्हेमन्तध्21ण्04ण्2022ध्नण्पाण्निगमए रतलामण्